न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 103 / 2018
जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2018 / 00180 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र किशोरी
2. हीराबाई पुत्री किशोरी
3. मोहरबाई पुत्री किशोरी
4. रामजीलाल पुत्र चन्दन (फौत)
   - 4 / 1. राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल
   - 4 / 2. शिवनारायण पुत्र रामजीलाल
   - 4 / 3. प्रेमसिंह पुत्र रामजीलाल
   - 4 / 4. रामेश्वर पुत्र रामजीलाल
   - 4 / 5. श्रीबाई पुत्री रामजीलाल
   - 4 / 6. कमला पुत्री रामजीलाल
   - 4 / 7. लीला पुत्री रामजीलाल
   - 4 / 8. सुशीला पुत्री रामजीलाल
   - 4 / 9. किस्तुरी पत्नि रामजीलाल

सभी जाति माली निवासी चन्दरसिंह का पुरा बखातपुरा ग्राम पंचायत फतेहपुर तहसील मासलपुर जिला करौली राजस्थान।

अपीलांटस्।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर करौली
2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील व जिला करौली
3. प्रधानाध्यापक राजकीय शिक्षा कर्मी विधालय चन्दरसिंह का पुरा तहसील मासलपुर जिला करौली
4. बृजमोहन पुत्र बुधीलाल
5. पूरन पुत्र बुधीलाल
6. गुल्लो पुत्री बुधीलाल
7. भगवन्ती पुत्री बुधीलाल
8. सुआबाई पुत्री बुधीलाल
9. पानो पुत्री बुधीलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

समस्त जातियान माली निवासीयान चन्दरसिंह का पुरा बखतपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली।

उपस्थितः—

.....रेस्पोडेन्टस्।

1. श्री रामजीलाल अग्रवाल अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांकः 10.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत सहायक कलेक्टर करौली जिला करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 24/2010 बउनवान मांगी बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र मातहत अदालत सहायक कलेक्टर करौली के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 2710 रकबा 01 रकबा 17 बिस्वा स्थित है जो वादी की संयुक्त खोतदारी व कब्जे काश्त की भूमि है वादीगण 01 ता 03 के पिता व वादी संख्या 04 तथा 05 ने गांव मे पाठशाला खोलने के लिए राजस्थान सरकार को स्वयं के कब्जे काश्त की भूमि मे से 2500 वर्गफीट जमीन खसरा नंबर 2710 के रकबे मे से शाला के लिए दान देने के लिए जरिए दान पत्र, दान कर दी। लेकिन वादी रामजीलाल द्वारा 13 बिस्वा व बुधीलाल की ओर से 12 बिस्वा के फर्जी कागजात तैयार कर बगैर किसी कानून के 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि वादीगण की खातेदारी की आराजी के सिवायचक दर्ज करने के आदेश कर दिये जो पूर्णतया अवैध है। अतः वादीगण ने अनुतोष चाहा कि राजस्व अधिकारियों द्वारा 20.09.2005 को प्रतिवादी नंबर 03 के हक मे किये गये गलत आवंटन को अवैध घोषित कर वादीगण द्वारा समर्पित 2500 वर्गफीट जमीन को छोड़ कर शेष आराजी खसरा नंबर 2710 की खातेदारी घोषणा वादीगण के हक मे करने के आदेश पारित किये जावें। न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली ने उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा—2018 मे दिनांक 25.06.2018 मे निपटा करते हुए वादीगण का दावा विरूद्व प्रतिवादीगण खारित कर दिया। उक्त आदेश मे व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जा रही है।
3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्याय आपके द्वारा 2018 के तहत दावा का निस्तारण कराये राजीनामा तय करने हेतु ग्राम फतेहपुर पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होने के लिये जारी किया गया जो अपील के साथ प्रमाण मे प्रस्तुत है। किन्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

इस तारीख को निर्णय ना करके और ना ही राजीनामा करवा कर निस्तारण किया गया तथा ना कोई आगामी तारीख पेशी की जानकारी अपीलांटगण/वादीगण को दी गई। मातहत अदालत द्वारा दिनांक 25.06.2018 को पत्रावली नियत करने बाबत् कोई नोटिस पक्षकारान को जारी नही किए। आगे उल्लेख किया कि दिनांक 25.06.2018 के लिए ग्राम पंचायत खोहरी मे राजस्व कैम्प नोटिफिकेशन के अनुसार निर्धारित था जो मातहत अदालत ने अपीलांटगण/वादीगण व उनके अधिवक्ता की अदम मोजूदगी मे निर्णय जैर अपील पारित करने मे कानूनी भूल की है। आगे कथन किया कि वादीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2710 मे से स्वेच्छा से 2500 वर्गफीट भूमि पाठशाला के लिए दान की गयी जिसका दानपत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 29.09.2002 को तहरीर तकमील करके शाला को सुपुर्द की जिस पर शाला संचालित होती चली आ रही है, शेष जमीन अपीलांटगण/वादीगण के कब्जे मे है। लेकिन राजस्व अधिकारियों ने आवंटन पत्रावली को गायब करा दिया और फर्जी कागजात तैयार कर अपीलांट की जमीन गैर कानूनी तरीके से हडपने के लिये सिवायचक दर्ज करने के आदेश करा दिये। ना इस भूमि मे रामजीलाल की 13 बिस्वा भूमि है और ना ही बुद्दीलाल की 12 बिस्वा भूमि है। इन सभी तथ्यों पर बिना गौर किए ही उक्त आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत सहायक कलेक्टर करौली का निर्णय दिनांक 25.06.18 निरस्त फरमाया जावें।

अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निर्णय जैर अपील की कोई सूचना अपीलांटगण व उनके अधिवक्ता को मातहत अदालत सहायक कलेक्टर करौली नही दी गयी जिसकी जानकारी दिनांक 23.08.18 को होने पर उसी रोज नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसकी नकल दिनांक 07.09.18 को प्राप्त हुई। अपीलांटगण अनपढ व्यक्ति है। इस कारण अपील पेश करने मे हुई देरी कण्डोन फरमाते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।
5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।
6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नही किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 25.06.2018 के लिए ग्राम पंचायत खोहरी मे राजस्व कैम्प नोटिफिकेशन के अनुसार निर्धारित था जो मातहत अदालत ने अपीलांटगण/वादीगण व उनके अधिवक्ता की अदम मोजूदगी मे निर्णय जैर अपील पारित करने मे कानूनी भूल की है। आगे कथन किया कि वादीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2710 मे से स्वेच्छा से 2500 वर्गफीट भूमि पाठशाला के लिए दान की गयी जिसका दानपत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 29.09.2002 को तहरीर तकमील करके शाला को सुपुर्द की जिस पर शाला संचालित होती चली आ रही है, शेष जमीन अपीलांटगण/वादीगण के कब्जे मे है। लेकिन राजस्व अधिकारियों ने आवंटन पत्रावली को गायब करा दिया और फर्जी कागजात तैयार कर अपीलांट की जमीन गैर कानूनी तरीके से हडपने के लिये सिवायचक दर्ज करने के आदेश करा दिये। ना इस भूमि मे रामजीलाल की 13 बिस्वा भूमि है और ना ही बुद्रीलाल की 12 बिस्वा भूमि है। मातहत अदालत द्वारा बिना अपीलांटगण/वादीगण को सूचित किए ही उक्त निर्णय पारित कर अहम कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 25.06.18 को निरस्त फरमाया जावें।

9. जवाब बहस मे पैरोकार सरकार ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात विद्यालय के हक मे भूमि सिवायचक दर्ज होने के बाद आवंटन हुई है। उक्त आवंटन को अपीलांटगण/वादीगण द्वारा आज तक सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी गई है। ना ही दानपत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही सक्षम सिविल न्यायालय मे की गई है। अपीलांटगण/वादीगण के पितागण द्वारा भूमि स्वेच्छा से विद्यालय को दान कर समर्पित की गई है। जिस पर वर्तमान समय मे भी विद्यालय निरन्तर चला आ रहा है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

10. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

11. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2060–2063 वाके ग्राम रामपुरा पटवार क्षेत्र फतेहपुर तहसील व जिला करौली के अनुसार खसरा नंबर 2710 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा किशोरीलाल, बुधीलाल, रामजीलाल पिसरान चन्दर जाति काछी सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जबकि प्रदर्श–02 के अनुसार 2710/1 रकबा 0.12 बीघा भूमि किशोरी पुत्र चन्दर के नाम दर्ज रिकार्ड है। अर्थात् रकबा 2710 में से 1.05 बीघा भूमि कम हुई है।
प्रदर्श–01 के अनुसार प्रकरण से संबंधित मूल आवंटन पत्रावली उप जिला कलेक्टर कार्यालय, तहसीलदार करौली के पत्र कमांक 8144 दिनांक 19.11.09 मे अंकन है। प्रदर्श–1 के अनुसार प्रकरण से संबंधित पत्रावली उपखण्ड कार्यालय में उपलब्ध नही होने का अंकन है। पत्रावली मे प्रमाणित प्रति रकबा 2710 मे 1.05 बीघा भूमि रा0 प्रा0 वि0 बखतपुरा के नाम शिविर मे आवंटन के आदेश की है। अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 11.06.18 मे इस प्रकार अंकन है कि " पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प फतेहपुर पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित है। मौका पर सुना गया वास्ते आदेश दिनांक 25.06.18 को पेश हो।" न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली द्वारा निर्णय 25.06.18 कैम्प कोर्ट फतेहपुर मे किया गया है।
अदालत हाजा की आदेशिका दिनांक 11.06.18 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थित अंकन है और रामजीलाल की निशानी अंगूठा का अंकन है, परन्तु निशानी अंगूठा का सत्यापन नही किया गया है। प्रकरण मे पत्रावली 14.03.16 से वास्ते " पटवारी हल्का के नामान्तकरण तलवी" मे चली आ रही थी परन्तु एक तरफा मे उस आदेश की बिना पालना कराए ही निर्णय पारित कर विधिक प्रकिया पूर्ण नही की गई है। इसके अतिरिक्त लोक अदालत मे केवल सहमति से विवादो का निपटारा की प्रकिया है। यदि कोई असहमति है तो विधिक प्रकिया का पूर्ण पालन किया जाना अनिवार्य है।
प्रकरण मे न कोई तनकीयात कायम की गई है , न ही वाद निस्तारण की विधिक कार्यवाही की गई है। इस कारण अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाई गई है।

12. उपुर्यक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाए जाने से आंशिक स्वीकार की जाकर मातहत अदालत सहायक कलेक्टर करौली के मुकदमा नंबर 24/2010 बउनवान मांगी बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण मे निम्न तनकीयात कायम की जाती है:–
(1) आया वादीगण द्वारा राजकीय शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय ग्राम बखतपुरा को खसरा नंबर 2710 मे से 55 गुणा 55 वर्ग गज भूमि का ही दान पत्र किया गया ? –(वादी)

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

(2) आया तनकी संख्या 01 के अनुसार खसरा नंबर 2710 के कितने भाग पर वादी काबिज है ? –(वादी)

पत्रावली इन दिशा–निदेर्शो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, तनकीयात कायम करते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई के लिए दिनांक 11.08.2023 को सहायक कलेक्टर करौली के समक्ष उपस्थित हो।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 10.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner